239

# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

**समक्ष : एम.के. सिंह**
**सदस्य**

प्रकरण कमांक निगरानी 277–दौ/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.12.2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर निगरानी प्रकरण कमांक 442–अ/19 वर्ष 2007–08

नंदराम पुत्र सियाराम सोनी
निवासी ग्राम बलकौरा तहसील लौंड़ी
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

रामप्रसाद पुत्र मोतीलाल शुक्ला
निवासी ग्राम बलकौरा तहसील लौंड़ी
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता, आवेदक
श्री एस.के. अवस्थी अधिवक्ता अनावेदक

## आदेश

**(आज दिनांक 25–07–2016 को पारित)**

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक निगरानी 442–अ/19 वर्ष 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 01.12.2011 के विरूद्ध म.

प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को नायब तहसीलदार बछौन तहसील लौड़ी के राजस्व प्रकरण कमांक 35/अ–19(4) वर्ष 89–90 में पारित आदेश दिनांक 25.01.1990 द्वारा मौजा टहनगा चरही पुरवा में स्थित भूमि खसरा नं. 1304 रकवा 0.405, 1334/1 रकवा 0.809, 1334/4 रकवा 0.686 कुल किता 3 कुल रकवा 1.900 हे. भूमि का व्यवस्थापन दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत किया गया। उक्त आदेश के 12 वर्ष पश्चात वर्ष 2001 में अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष अनावेदक ने स्वप्रेरणा निगरानी प्रस्तुत की जिसमें पारित आदेश दिनांक 23.7.2007 द्वारा स्वप्रेरणा निगरानी स्वीकार कर व्यवस्थापन को नियमों के विपरीत मानते हुये निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जिसमें अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण कमांक निगरारी 442–अ/19 वर्ष 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 01.12.2011 से निगरानी निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेंश की गई हैं

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन दखल रहित अधि. 1984 के तहत 25.01.90 में किया गया था। व्यवस्थापन होने के उपरांत काफी मेहनत से एवं हजारों रूपये व्यय कर उसे कृषि योग्य बनाया है। अपर कलेक्टर व अपर आयुक्त ने इस तथ्य को अनदेखा किया है।

यह तर्क भी दिया गया कि इस प्रकरण में व्यवस्थापन आदेश दिनांक 25.1.90 के विरूद्ध 12 वर्ष पश्चात अनावेदक ने अपर कलेक्टर के समक्ष स्वप्रेरणा निगरानी प्रस्तुत की अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा वर्ष 2005 में अर्थात 15 वर्ष से अधिक समय पश्चात प्रकरण स्वप्रेरणा निगरानी में दर्ज कर आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आवेदक के पक्ष में किये गए व्यवस्थापन आदेश दिनांक 25.1.90 को निरस्त किया है जो अवैधानिक है क्योंकि स्वप्रेरणा निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है एवं अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत स्वप्रेरणा निगरानी पर से अपर कलेक्टर को सुनवाई नहीं की जाना चाहिये थी। उनके द्वारा आवेदक हितबद्ध पक्षकार को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसकी पीठ पीछे आदेश पारित किया था।

यह तर्क दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल ने प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों में मान्य किया है कि लंबे समय पश्चात किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये प्रस्तुत की गई स्वप्रेरणा निगरानी में सुनवाई की जाकर दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने अर्थात उसके हित में किये गये व्यवस्थापन को निरस्त नहीं किया जाना चाहिये था।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक ग्राम बलकौरा का निवासी है वाद भूमि मौजा टहनगा, चरही पुरवा में स्थित है जो ग्राम बलकौरा ग्राम पंचायत का ही मौजा है।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपर कलेक्टर छतरपुर के राजस्व प्र.कं. /98/स्व.प्रे.निग.अ–19/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 23.7.07 के विरूद्ध निगरानी पेश की थी जिसमें अपर आयुक्त सागर ने

आवेदक द्वारा उनके समक्ष उठाये गये बिन्दुओं का आदेश में पूर्ण लेख किया है लेकिन बिना किसी समुचित कारण दिये निगरानी निरस्त कर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखने में त्रुटि की है।

यह तर्क दिया गया व्यवस्थापन आदेश के विरूद्ध करीब 12 वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी। जिस पर अपर कलेक्टर को चाहिए था कि वे प्रस्तुत निगरानी समय सीमा के बाहर मानकर प्रथम दृष्टि में ही खारिज करते क्योंकि प्रतिपक्ष को उक्त व्यवस्थापन कीजानकारी प्रारंभ से थी यही कारण है कि उसके द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर न्यायालय में वाद भूमि से संबंधित एक अन्य निगरानी दायर की गई थी जो आदेश दिनांक 28.02.2005 को खारिज की जा चुकी थी। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा 1996 आर.एन. पेज 80 पर यह मान्य किया गया है कि किसी भी पटटे की 6 वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा निगरानी में लेकर निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु इस प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 25.1.90 को जारी किए गए पटटे की दिनांक 23.7.07 को स्वप्रेरणा निगरानी में लेकर निरस्त किया है जो कि करीब 17 वर्ष पश्चात है इस कारण भी उपरोक्त न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ऐसे अवैध आदेश की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये जाने से उक्त आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है।

यह तर्क भी दिया गया कि अनावेदक को उक्त प्रकरण में निगरानी करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि न तो वह आवश्यक पक्षकार है और न ही उसका उक्त भूमि से कोई हित निहत है और न ही वह उक्त भूमि पाने की पात्रता रखता है। परन्तु अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा इन बिन्दुओं पर

कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2011 एवं अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2007 को निरस्त किया जावे व नायब तहसीलदार बछौन (वर्तमान तहसील चन्दला) द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.1990 को पूर्वानुसार बहाल किये जाने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया कि बंटित भूमि के अतिरिक्त आवेदक के पिता के नाम कृषि भूमि थी इसके बावजूद भी आवेदक के नाम व्यवस्थापन किया गया है आवेदक का मौके पर कभी कब्जा नहीं रहा इस प्रकार अधीनस्थ दोनों पुनरीक्षण न्यायालयों के आदेश को उचित बताते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके समक्ष अनावेदक ने स्वप्रेरणा निगरानी प्रस्तुत की थी क्योंकि उक्त निगरानी 12 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गयी थी जिस पर अपर कलेक्टर को चाहिए था कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी समय सीमा के बाहर मानकर प्रथम दृष्टि में ही खारिज करते । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा 1989 आर.एन. पेज 200 पर यह मान्य किया गया है कि समय वर्जित मामलों में प्रतिपक्ष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी में नहीं लिया जाना चाहिए परन्तु इस प्रकरण की परिस्थतियों को देखकर यह प्रतीत होता है कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रतिपक्ष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही कीगई है। आवेदक का उक्त भूमि पर दिनांक 2.10.1984 के पूर्व से कब्जा चला आ रहा है तथा वह उक्त भूमि पट्टे पर पाने की पात्रता रखता है

तथा नियमानुसार जांच इत्यादि की जाकर उपरोक्त भूमि का पटटा आवेदक को स्वीकार करने में नायब तहसीलदार बछौन (वर्तमान तहसील चन्दला) द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है आवेदक ग्राम बलकौरा का निवासी है तथा ग्राम बलकौरा मौजा टहनगा चरही पुरवा से लगा हुआ है। इसलिए यह मानना कि दोनों गांव अलग अलग है उचित नहीं है। इस प्रकार से अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.7.2007 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2011 अवैध एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों अपर आयुक्त सागर एंव अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2011 एवं 23.07.2007 विधि सम्मत न होने एवं न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाते हैं एंव नायब तहसीलदार बछौन तहसील लौड़ी (वर्तमान तहसील चन्दला) द्वारा आवेदक के पक्ष में पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 25.1.90 बहाल किया जाता है तहसीलदार चन्दला को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये गये नाम को उक्त आदेशों के पालन में यदि काटा गया हो एवं म.प्र. शासन दर्ज कर दिया हो तब उसे पुनः पूर्ववत आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करें।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर